The Utility of Vedic Education in the Contemporary Education System

1- Dr. Devendra Singh Chamyal, Assistant Professor, Faculty of Education, Soban Singh Jeena University, Campus Almora (Uttarakhand)
2- Dr. Devendra Singh Bisht, Associate Professor, Faculty of Education, Soban Singh Jeena University, Campus Almora (Uttarakhand)
3- Shailja Karki, Research Scholar, Faculty of Education, Soban Singh Jeena University, Campus Almora (Uttarakhand)

भारत में स्वतन्त्रता के पश्चात स्त्री शिक्षा का विकासात्मक अध्ययन

डॉ0 देवेन्द्र सिंह चम्याल[1], डॉ0 देवेन्द्र सिंह बिष्ट[2] & शैलजा कार्की[3]

1. असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षा संकाय सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर, अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)
2. एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा संकाय सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर, अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)
3. शोध छात्रा, शिक्षा संकाय सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर, अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

ईमेल– deepu.chamyal666@gmail.com

साराँश– भारत में प्राचीन काल में स्त्रियों की स्थिति धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक, सभी दृष्टिकोणों से पुरूषों के समकक्ष थी। वैदिक युग में वे मन्त्रों की द्रष्टा थी। बाद में उनकी इस स्थिति में परिवर्तन हुआ। वेदों के समय उनके संस्कार पुरूषों के ही समान थे, स्मृतियों के समय स्त्रियों के लिए विवाह, पति–सेवा एवं गृह कार्य क्रमशः उपनयन, आश्रमों की शिक्षा एवं संध्यावंदन के तुल्य समझे जाने लगे। इस प्रकार धीरे–धीरे नारियों से वेदपाठ शिक्षा एवं संध्यावंदन पृथक कर लिये गए। शनैःशनैः उनकी स्वतन्त्रता समाप्त हो गई। परिणाम यह हुआ कि यज्ञों में भाग लेने वाली नारी अब दासी हो गई एवं पति के सुख का साधनमात्र रह गई। मध्यकाल में उसे और अधिक परतन्त्र बनाया गया। यही स्थिति बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक बनी रही। स्त्रियों को इस दयनीय स्थिति में धकेलने का उत्तरदायित्व पुरूषों पर है। भारतीय विचारधारा स्त्रियों का बड़ा आदर करती है। अज्ञानतावश भारतीयों के विचारों का शोषण करके स्त्रियों की दशा शोचनीय बना दी ।

स्वतन्त्र भारत में स्त्री–शिक्षा की अत्यधिक प्रगति हुई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाली बालिकाएं उस आयु (6–11वर्ष) की समस्त बालिकाओं की केवल 2.5 प्रतिशत थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 34.7 प्रतिशत बालिकाएं प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने लगी। माध्यमिक स्कूल में प्रथम योजना के प्रारम्भ में 5 प्रतिशत बालिकाएं थीं और इस योजना के अन्त में वह प्रतिशत 8.5 हो गया था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर 64.46 प्रतिशत है, जबकि पुरुष साक्षरता दर 82.14 है। **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो** (एनसीआरबी) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश में हर घंटे महिलाओं के खिलाफ अपराध की 51 घटनायें हो रही है और इतने ही समय में तीन लोगों की हत्या हो जाती है जो कि सोचनीय विषय है। राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद की स्थापना सन् 1959 में की गयी।

मुख्य शब्द– भारत, स्वतन्त्रता, स्त्री, शिक्षा, ऐतिहासिक, पृष्ठभूमि।

प्रस्तावना– समाज व परिवार में नारी की कई भूमिकाएँ हो जाती हैं जैसे– सास–बहू ,माँ–बेटी, बहन, सखी, सहकर्मी, जेठानी–देवरानी एवं ननद–भाभी, आदि। **नेपोलियन** के अनुसार–''मुझे सुशिक्षित माताएँ दो, मैं एक सुशिक्षित राष्ट्र का निर्माण कर दूँगा''। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी)(05/12/2023) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश में हर घंटे 51 महिलाएं अपराध की शिकार हो रही है और इतने ही समय में तीन लोगों की हत्या हो जाती है। 19 महानगरों में स्थिति और भी चिंताजनक हो गई है, जहाँ महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले 2021 की तुलना में 2022 में 12.3 फीसदी बड़े है। रिपोर्ट के मुताबिक, देश में 2022 में हत्या के कुल 28,522 मामले दर्ज किए गए। यानी हर दिन औसतन 78 हत्याएं हुई। 2021 में यह आंकड़ा 29,272 और 2020 में 29193 था, वहीं 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,45,256 मामले दर्ज किए गए जो 2021 के 4,28,278 मामलों की तुलना में चार फीसदी अधिक है। पिछले 20 वर्षों में महिलाओं के साथ हुए बलात्कारों में 40 प्रतिशत का इजाफा हुआ, छेड़खानी में 60 प्रतिशत व दहेज को लेकर वारदातों में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 1901 में लिंगानुपात 972, 1991 में लिंगानुपात घटकर 918 रह गया व 2011 में लिंगानुपात 943 है। जनगणना, 2011 के अनुसार भारत की प्रभावी साक्षरता दर 78% है। पुरूषों एवं महिलाओं की साक्षरता दर 80.9% एवं 64.9% है। सन् 1947 में लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या लगभग 24 थी जबकि वर्तमान में 78 है। 1929 में बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम बना दिया गया।

प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक 2021–22 मे छात्राओं का नामांकन 122891568 है। 2020–21 में विश्वविद्यालयों की संख्या 1113 हो गयी तथा कॉलेजों की संख्या 43,796 हो गयी है। 10.5% कॉलेज (4375) विशेष रूप से महिलाओं के लिए है जबकि केवल 0.2% (72 कॉलेज) विशेष रूप से पुरूषों के लिए है। गैर शिक्षण कर्मचारियों की संख्या 13,95,868 है, जिनमें से लगभग 65.9% पुरूष तथा 34.1% महिलाएं है। प्रति 100 पुरूष शिक्षकों पर 75 महिला शिक्षक है। दुरस्थ माध्यम से 48.7% महिलाएं शिक्षा ले रही है। जवाहर नवोदय विद्यालयों में दि0 31.12.2002 तक विद्यार्थियों की नामांकन संख्या 292251 है, जिसमें से 169432 (57.97%) लड़के व 122819 (42.03%) लड़कियाँ है।

यू–डाइस (2021–22) (तीन नवम्बर 2022) में दिये गए आकड़ों के अनुसार प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक विद्यार्थियों की कुल नामांकन संख्या 25.57 करोड़ है जिसमें से 13.28 करोड़ छात्र व 12.28 करोड़ छात्राएँ है। जबकि 12.28 करोड़ छात्राओं में से 0.4 करोड़ पूर्व–प्राथमिक, 5.8 करोड़ प्राथमिक, 3.2 करोड़ उच्च प्राथमिक, 1.8 करोड़ माध्यमिक तथा 1.4 करोड़ उच्चतर माध्यमिक स्तर पर है। सन् 2021–22 में प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षकों की कुल संख्या 95.87 लाख है जबकि 2020–21 में 97.87 लाख थी। 2020–21 में महिला शिक्षिकाओं की संख्या 48.77 लाख है और 51.30 लाख शिक्षक है। सन् 1950–51 में अध्यापिकाएँ निम्न प्राथमिक स्कूलों में 18%, उच्चतर प्राथमिक स्कूलों में 18%, माध्यमिक स्कूलों में 19%, व्यावसायिक स्कूलों में 23%, व्यावसायिक कॉलेजों में 7% एवं उच्च शिक्षा संस्थाओं में 10% हैं।

वर्ष 1946–47 में प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 1 से 8 तक) में 37,96,673, माध्यमिक शिक्षा में 3,36,862, उच्च स्नातक एवं परास्नातक में 23,207 एवं अध्ययनरत छात्राओं की कुल संख्या 41,56,732 थी।

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) 2020–21 **(29 जनवरी 2022)** में जारी की गयी है, रिपोर्ट के अनुसार 2019–20 में महिला नामांकन 1.88 करोड़ से बढ़कर 2.01 करोड़ हो गया है। 2014–15 से अब तक लगभग 44 लाख (28%) की वृद्धि हुई है। 17 विश्वविद्यालय और 4,375 कॉलेज विशेष रूप से महिलाओं के लिए हैं। शिक्षकों की कुल संख्या 15,51,070 है जिनमें से लगभग 57.1% पुरूष और 42.9% महिलाएँ हैं। 1901 में समग्र साक्षरता 5.35 प्रतिशत थी जिसमें से महिला साक्षरता 0.60 प्रतिशत थी। प्राथमिक स्तर (कक्षा 1–5) में लड़कियों का प्रतिशत 43.7 प्रतिशत है, उच्चतर प्राथमिक स्तर (कक्षा 6–8) में यह 40.1 प्रतिशत माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक (कक्षा 9 व 10) में 38.6 प्रतिशत तथा उच्चतर शिक्षा स्तर में यह दर 36.9 प्रतिशत है। 2021 में ग्रामीण इलाकों में 28 फीसदी प्राथमिक स्कूल शिक्षक महिलाएँ हैं जबकि शहरी इलाकों में यह आकड़ा 69 फीसदी है।

केन्द्रीय सरकार स्त्री–शिक्षा की कोई पृथक् व्यवस्था नहीं करती। वह इस शिक्षा को भी शिक्षा मन्त्रालय के माध्यम से सामान्य शिक्षा की भाँति व्यवस्थित करती है, परन्तु राष्ट्रीय महिला शिक्षा–परिषद् की संस्तुति पर वहाँ विशिष्ट आयोग या समिति नियुक्त करके उसकी स्थिति का सर्वेक्षण करा लेती है और स्त्री–शिक्षा के विकास की संस्तुतियाँ स्वीकार करके एक राष्ट्रव्यापी नीति बना लेती है, जिसकी सूचना राज्य सरकारों को दे दी जाती है। राज्य सरकारें उस नीति का पालन करके स्त्री–शिक्षा की व्यवस्था करती है। राज्य सरकारें प्रदेश में शिक्षा–विभाग की सहायता से सभी स्तरों की शिक्षा की व्यवस्था, प्रशासन और नियन्त्रण करती हैं। प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा का संचालन शिक्षा–विभाग (प्रान्तीय) करता है। स्त्री–शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्रदेश के शिक्षा विभाग में महिला शिक्षा निदेशक उत्तरदायी होती है। निर्धारित महिलाएँ शिक्षा निदेशक अपनी सहायतार्थ मण्डल की सीमा निर्धारित करके 'विद्यालयों की मण्डलीय निरीक्षिका' की नियुक्ति कराती है। एक मण्डल के सभी कन्या विद्यालयों की शिक्षा–व्यवस्था का प्रशासनिक तथा आर्थिक उत्तरदायित्व उपरोक्त निरीक्षक के माध्यम से सम्पन्न होता है। इस प्रकार स्त्री–शिक्षा माध्यमिक स्तर तक दोहरे शासन में रहती है। प्रशासनिक तथा नियन्त्रण की दृष्टि से स्त्री–शिक्षा संस्थाओं को अन्य पुरूष छात्र विद्यालयों के समान जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेशों का पालन करना होता है तथा दूसरी ओर आर्थिक और व्यवस्थापक नियन्त्रण की दृष्टि से उन्हें जिले की सह–निरीक्षिका के आदेशों का भी पालन करना पड़ता है। इससे स्त्री–शिक्षा के विकास में दोहरी बाधा उत्पन्न होती है।

इस विश्वव्यापी आन्दोलन से भारतीय संविधान भी पूर्णरूपेण प्रभावित है। इसलिए ही भारत में सभी के लिए अनिवार्य शिक्षा की घोषणा संविधान के क्रियान्वयन के साथ ही सन् 1950 में कर दी गयी थी। इन्हीं भाषाओं को लक्ष्य मानकर शिक्षा को राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक प्रगति का सुगम मार्ग माना गया है तथा इसकी अबाध प्रगति के लिए सुव्यवस्थित, सुनिश्चित, समान अवसरों को जुटाया गया। इस प्रकार यह अन्तर्राष्ट्रीय प्रत्यय विश्व के लिए ही नहीं भारतीय राष्ट्र की इकाई के लिए स्वर्णिम लक्ष्य माना गया। सन् 1947 में 50 प्रतिशत बालिकाएँ मिश्रित विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रही थीं। स्वतन्त्रता के पश्चात् न्याय, स्वतन्त्रता, समानता को बढ़ावा देने की संवैधानिक प्रतिबद्धता हुई। साथ ही महिलाओं की भूमिका और उनकी प्रस्थिति को सीमित करने वाली सामाजिक अक्षमताओं के विरोध में कानून बनने आरम्भ हुए। 1970 के दशक से नियोजन की प्रक्रिया में महिलाओं की हिस्सेदारी पर विशेष ध्यान देने के लिए दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1975 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित करना एवं 1975 से 85 तक के दशक को महिला दशक घोषित करना महिलाओं से सम्बन्धित विषयों में एक महत्वपूर्ण कदम था। सारे विश्व का ध्यान महिलाओं की समस्याओं, आवश्यकताओं एवं क्षमताओं की तरफ आकर्षित किया गया था। शिक्षा के

अवसरों की समानता उपलब्ध कराने की दिशा में महान् कार्य करने का श्रेय अन्तर्राष्ट्रीय विश्व संगठनों जैसे– संयुक्त राष्ट्र संघ तथा इसकी प्रमुख सहयोगी शाखा यूनेस्को को भी जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व मानवीय अधिकारों के अन्तर्गत नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार एवं सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित किये है। यू0 एन0 डिक्लरेशन ऑफ हयूमन राइट्स ने विश्व के मानव में संचेतना जाग्रत कर दी जिससे वह मानवीय अधिकारों तथा समानता के अवसरों के प्रति सचेत हो गया। संविधान अनुच्छेद 14 से 18 के द्वारा संविधान प्रत्येक व्यक्ति, को समानता का अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद–15(1), 16(1), 16(2) में उल्लिखित है कि किसी भी नागरिक से लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान की धारा–15 के अनुसार राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। सरकार ने नारी उत्थान के लिए श्रीमती जयन्ती पटनायक की अध्यक्षता में नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन की स्थापना की। ऐसी आशा की गयी कि स्त्रियों के उत्थान के लिए यह कमीशन एक अच्छा अस्त्र साबित होगा। बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएँ लागू की गयी। वर्ष 1978–79 में 6 से 14 वर्ष आयु–वर्ग के बच्चों में नामांकन न कराने वाली लड़कियों की संख्या 66 प्रतिशत थी। इस समय देश की राजधानी में स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए जो स्वयंसेवी महिला संगठन कार्य कर रहे हैं, वे निम्न हैं–

(1) महिला दक्षता समिति (1976)

(2) मानुषी (1978)

(3) कार्मिका (1979)

(4) अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति (1981)

(5) सहेली

ये संगठन आमतौर पर दहेज, बलात्कार, आत्महत्या, आपसी तनाव और पारिवारिक संबंध, आदि मामलों में महिलाओं और संरक्षकों को कानूनी तौर पर उचित मदद दिलाने में सहायता करते हैं।

1946–47 में 28,196 बालिका शिक्षा संस्थाओं की स्थापना हुई जिनमें से 21,679 प्राइमरी विद्यालय, 2,370 माध्यमिक विद्यालय, 4,288 व्यावसायिक एवं तकनीकी संस्थाएँ 59 आर्टस् तथा विज्ञान कालेज थे जिनमें पढ़ने वाली छात्राओं की संख्या लगभग 42 लाख थी। 1971 में छात्राओं की संख्या 280 लाख हो गयी। प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान छात्राओं की संख्या 1951 में जो 60 लाख थी, बढ़कर 1961 में 140 लाख हो गयी।

इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण योजना उनके लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था करने की थी। इस योजना के दौरान स्त्री–शिक्षा के प्रसार हेतु विशेष प्रयास तथा महिला शिक्षिकाओं की पूर्ति हेतु प्रयास किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1979 में प्राइमरी शिक्षा को प्रथम वरीयता दी गयी तथा प्रौढ़ शिक्षा को द्वितीय। इसमें लड़के–लड़कियों और प्रौढ़ स्त्री–पुरूषों सबको साक्षर बनाने और उन्हें सामान्य शिक्षा देने पर बल दिया गया। अभी इस शिक्षा नीति के अनुसार कार्य शुरू ही हुआ था कि केन्द्र में जनता दल के स्थान पर पुनः कांग्रेस की सरकार सत्तारूढ़ हो गयी। उसने पुनः राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 के अनुपालन पर बल दिया और परिणामस्वरूप छठी पंचवर्षीय योजना (1980–85) में स्त्री शिक्षा का प्रसार कार्य जारी रखा।

भारतीय संविधान में नागरिकों के एकसमान अधिकारों एवं कर्त्तव्यों की विशद व्याख्या की गयी है। इनमें से संविधान की धारा 29 (2) के अन्तर्गत स्पष्ट किया गया है– ''राज्य द्वारा पोषित या राज्य नीति से सहायता प्राप्त करने या किसी शिक्षा में किसी नागरिक को धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा या उनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जायेगा।'' इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा–प्रणाली की परिकल्पना भारतीय संविधान में दिये गये मूलभूत सिद्धान्तों से अनुप्राणित है। इन्हीं सिद्धान्तों पर लोकतन्त्र, धर्म–निरपेक्षता तथा समाजवाद की जड़ों को मजबूत किया जा सकता है।

शिक्षा आयोग (1964–66) ने अपने विचार निम्नलिखित रूप में अभिव्यक्त किये हैं–''जो भी समाज सामाजिक न्याय को अत्यन्त आदर्श मानता है, जनसाधारण की हालात सुधारने तथा समस्त शिक्षा पाने योग्य व्यक्तियों को शिक्षित करने को उत्सुक है, उसे यह व्यवस्था करनी ही होगी कि जनता के सभी वर्गों को अवसर की अधिकाधिक समता प्राप्त होती जाय। एक समतामूलक तथा मानवतामूलक समाज, जिसमें निर्बल का शोषण कम से कम हो, बनाने का यही एक सुनिश्चित साधन है।''

यू0एन0 डिक्लरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने विश्व में संचेतना जाग्रत कर दी, जिससे वह मानवीय अधिकारों तथा समानता के अवसरों के प्रति सचेत हो गया। इसकी धारा 1 एवं 2 के अन्तर्गत विस्तार से कहा गया है–

धारा 1 ''सभी व्यक्ति जन्म से स्वतन्त्र हैं, अतः वे सम्मानजनक तथा समान अधिकारों के हकदार हैं। वे तर्क एवं चेतना से अभिपूरित हैं तथा उन्हें परस्पर एक–दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना के साथ कार्य करना चाहिए।

धारा 2 ''प्रत्येक व्यक्ति इस घोषणा में उद्धृत मूल अधिकारों तथा स्वतन्त्रता का हकदार है। अतः उन्हें जाति, भाषा, धर्म, रंग, लिंग, राजनीति, मतों द्वारा पृथक्–पृथक् नहीं किया जा सकता हैं।''

स्वतन्त्रता–प्राप्ति के पश्चात् राष्ट्रीय सरकार ने नारी शिक्षा के प्रसार के लिए अधिक उत्साह का प्रदर्शन किया। नये संविधान का उद्देश्य भारत में एक ऐसे संविधान की संरचना करनी है, जो सब नागरिकों को बिना धर्म, जाति अथवा लिंग भेद के न्याय एवं समानता पर आधारित हो। इसलिए सरकार द्वारा स्त्री–शिक्षा के लिए प्रभावशाली कदम उठाये गये। वर्ष 1949–50 में प्राथमिक स्कूलों में बालिकाओं की संख्या का प्रतिशत मात्र 28 था। भारत में स्वतन्त्रता के पश्चात् स्त्री–शिक्षा के सन्दर्भ में आयोगों एवं समितियों ने निम्न सुझाव एवं कार्य किये–

राधाकृष्णन कमीशन (1948–49)– स्त्री–शिक्षा पर बल देते हुए कहा–**''शिक्षित स्त्रियों के बिना शिक्षित व्यक्ति नहीं हो सकते।''** इस आयोग ने स्त्री–शिक्षा के विकासार्थ कुछ सुझाव दिये।

(i) नारी को सुमाता तथा सुगृहिणी बनाने की शिक्षा दी जाए।

(ii) स्त्रियों के लिए शिक्षा सुविधाओं का विस्तार किया जाए। स्त्रियों की शिक्षा में वृद्धि करने हेतु उनको शिक्षा के अधिक से अधिक अवसर प्रदान किये जाने चाहिए।

(iii) स्त्रियों को गृह–प्रबन्ध अध्ययन की प्रेरणा और अवसर दिये जाएँ।

(iv) अध्यापिकाओं को समान कार्यों के लिए अध्यापकों के बराबर वेतन दिया जाए।

(v) कालेज स्तर पर सहशिक्षा को प्रोत्साहन।

(vi) स्त्रियों और पुरूषों की शिक्षा एकसमान न हो अपितु स्त्रियों की अभिरूचि के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए एवं उन्हें समाज में स्थान दिला सके।

(vii) बालिकाओं हेतु शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।

योजना आयोग–

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–55)– इस काल में स्त्री–शिक्षा के विकास हेतु जो लक्ष्य निर्धारित किये गये उसके परिणामस्वरूप स्कूल जाने वाली 6–11 वर्ष आयु–वर्ग की बालिकाओं की संख्या का प्रतिशत वर्ष 1955–56 में 40 प्रतिशत तक पहुँच गया जो कि वर्ष 1950–51 में मात्र 23.3 प्रतिशत था। योजना आयोग द्वारा अत्यन्त पिछड़ी बालिकाओं तथा महिलाओं को शिक्षा प्रदान किये जाने की शिक्षा हेतु आवश्यक लक्ष्य निर्धारित किये तथा विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से उन्हें शिक्षित करने हेतु पूरे प्रयास किये। इस अवधि में बालिका शिक्षा संस्थाओं की संख्या 61 लाख से बढ़कर 81 लाख हो गयी। इस संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि का कारण बालिकाओं को सहशिक्षा में प्रवेश लेना था। केवल बालिकाओं को शिक्षा देने वाली संस्थाओं की संख्या इस अवधि में 16,814 से बढ़कर 18,671 तक पहुँच गयी, जब कि अध्ययनरत बालिकाओं की संख्या इस अवधि में क्रमशः 64.78 लाख से 93 लाख तक पहुँच गयी, जो कि लगभग 42.6 प्रतिशत थी।

वर्ष 1951–1956 योजना काल में स्त्री–शिक्षा के विकास हेतु सरकार द्वारा पारित कानूनों तथा वैवाहिक जीवन में मधुरता तथा समरसता बनाये रखने के लिए 1955 में बना ''हिन्दू विवाह अधिनियम'', 1952 में बना **विशेष विवाह अधिनियम** मुख्य है, जिसमें **अन्तर्जातीय विवाह** को वैध घोषित किया गया तथा वर व कन्या के विवाह की न्यूनतम आयु 21 व 18 वर्ष निश्चित की गयी। 1954 में जब यू0जी0सी0 बिल संसद में पेश किया गया तो मिस जयश्री तथा श्री0डी0सी0 शर्मा ने महिलाओं को भी पुरूषों के समान ही शैक्षिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया। उन्होने कहा कि पुरूषों के समान स्त्रियों को भी विद्यालयों में विशेष शिक्षकों की भर्ती, आदि समस्त पहलुओं पर समान रूप से नामित किया जाना चाहिए।

माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53)– डॉ0 ए0 लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में गठित माध्यमिक शिक्षा आयोग (मुदालियर कमीशन) ने अपनी रिपोर्ट में महिला शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुये कहा कि संविधान के अनुच्छेद 16ए के आधार पर शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है।

आयोग का मानना था कि माध्यमिक स्तर पर स्त्रियों तथा पुरुष दोनों की शिक्षा समान होनी चाहिए। स्त्री शिक्षा के विषय में आयोग के मुख्य सुझाव निम्न प्रकार हैं–

(1) स्त्री तथा पुरूषों की समान शिक्षा की व्यवस्था।

(2) बालिकाओं के पाठ्यक्रम में गृहविज्ञान, शिल्प, गृह उद्योगों, संगीत एवं चित्रकारी को स्थान।

(3) सहशिक्षण संस्थाओं में महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति का सुझाव।

(4) बालिकाओं को विद्यालयों में पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान की जाएँ।

इस प्रकार आयोग ने शिक्षा के द्वारा महिलाओं के सामाजिक तथा आर्थिक स्वावलम्बन में भूमिका निभायी।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956–61)– इस काल में स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। इस योजना में महिला शिक्षकों को शिक्षक प्रशिक्षण हेतु विशेष व्यवस्था की गयी, क्योंकि महिला शिक्षकों के अभाव में शिक्षा का विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा था। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली स्त्रियों के लिए मकान आदि की सुविधाएँ दिये जाने पर विशेष ध्यान दिया गया। बालिकाओं को शिक्षा के लिए छात्रवृतियाँ एवं विभिन्न राज्यों में स्त्रियों को निम्नलिखित अनुदान प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी–

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षकों को छात्रवृत्ति प्रदान करना।

(ii) स्कूलों में आयाओं की नियुक्ति हेतु।

(iii) शिक्षण प्रशिक्षण हेतु महिला शिक्षकों को छात्रवृत्ति प्रदान करना।

(iv) रिफ्रेशर कोर्स की व्यवस्था करना।

इस योजना काल में सरकार द्वारा पारित कानून हिन्दू माइनॉरिटी एण्ड गार्जियनशिप ऐक्ट (हिन्दू अल्पवयस्कता तथा अभिभावकता अधिनियम) 1956 में बना। इस नियम ने स्त्री–शिक्षा के विकास में सहयोग किया।

राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति (1958)– सन् 1958 में श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में इस समिति का गठन हुआ। इसको दुर्गाबाई देशमुख समिति के नाम से भी जानते हैं।

महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के उद्देश्य से दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में 1958 में केन्द्र में 'राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद्' का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य स्त्री–शिक्षा की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए सुझाव देना था। इसके निर्देशन में स्त्री शिक्षा के विकास को गति प्राप्त हुई। समिति ने निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये–

(i) कुछ वर्षों तक बालिका शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता तथा स्त्रियों के लिए अलग से प्रशासनिक व्यवस्था भी की जानी चाहिए।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री–शिक्षा के विकास हेतु सरलीकृत अनुदान किये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(iii) उपलब्ध धनराशि का उपयोग बालिकाओं के मिडिल तथा माध्यमिक स्तर के विद्यालयों, शिक्षक प्रशिक्षण, स्कूलों, छात्रावास तथा महिला अध्यापिकाओं हेतु छात्रावास बनाये जाने के लिए अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए।

(iv) राज्यों में बालिकाओं एवं स्त्री–शिक्षा की राज्य परिषदों का निर्माण किया जाए।

(v) बालक तथा बालिका शिक्षा के लिए विषमता को शीघ्र समाप्त किया जाए।

हंसा मेहता समिति (1962)– राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद् (NCWE) ने 1962 में श्रीमती हंसा मेहता की अध्यक्षता में स्त्री शिक्षा के पुनर्गठन का सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया। इसे '**हंसा मेहता समिति**' के नाम से भी जाना जाता है। इस समिति ने महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु उनकी शिक्षा के सम्बन्ध में निम्न सुझाव दिये–

(1) प्राथमिक स्तर पर बालकों और बालिकओं हेतु समान पाठ्यक्रम की व्यवस्था।

(2) माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं हेतु गृहविज्ञान के अध्ययन की सुविधा।

(3) बालिकाओं हेतु पृथक् व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था।

(4) किसी भी स्थिति में बालकों और बालिकाओं की शिक्षा में बहुत अन्तर नहीं होना चाहिए।

भक्तवत्सलम् समिति (1963) – 1963 में 'राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद्' ने मद्रास के मुख्यमंत्री **श्री भक्तवत्सलम्** की अध्यक्षता में समिति ने विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा के सम्बन्ध में जनता के सहयोग के अभाव की जांच की। इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षा के प्रसार हेतु जनसहयोग प्राप्त करने का सुझाव दिया। इसके द्वारा की गयी सिफारियों के अनुसार विवाहित महिलाओं को कम से कम पार्ट टाईम और स्कूल, मदरसा में अध्यापिका के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए एवं महिला शिक्षा के प्रति विरोध समाप्त करने के लिए पर्याप्त प्रचार करने में जनता के सहयोग की मांग की। प्रचार कार्यक्रमों एवं साधनों के द्वारा राज्य सरकारें शिक्षा के प्रति जनमत बनाये। सभी प्राथमिक स्कूलों में अध्यापिकाओं की नियुक्ति अधिक से अधिक एवं अनिवार्य रूप से की जाये। इससे बालिकाओं को विद्यालय भेजने हेतु अभिभावकों को प्रोत्साहन मिलेगा।

कोठारी आयोग (1664)– सन् 1664 में भारतीय शिक्षा पर समग्र रूप से सुझाव देने हेतु कोठारी आयोग की नियुक्ति की गयी तथा इस आयोग ने स्त्रियों की स्थिति सुधार हेतु शैक्षिक सुझाव इन शब्दों में दिये–

(1) 6 से 14 आयु–वर्ग के सभी लड़के–लड़कियों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए।

(2) 11 से 14 आयु–वर्ग की लड़कियों के लिए अल्पकालीन शिक्षा की व्यवस्था की जाये।

(3) बालिकाओं हेतु अलग से माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की जाये।

(4) माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं को छात्रावास की सुविधा प्रदान की जाये।

(5) बालिकाओं हेतु अलग से व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाये।

(6) बालिकाओं के लिए अलग से महिला महाविद्यालयों की स्थापना की जाये।

(7) बालिकाओं हेतु विशेष छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाये।

(8) लड़कियों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय भेजने के लिए जनमानस को तैयार करना ।

(9) अशिक्षित प्रौढ़ महिलाओं की शिक्षा की व्यवस्था की जाये तथा उनके लिए अलग से प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जाये।
(10) इस प्रयोजन के लिए विशेष योजनायें बनायी जाये और उनके लिए आवश्यक धन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाये।
(11) केन्द्र और राज्यों दोनों में स्त्री शिक्षा की निगरानी के लिए एक विशेष संगठन स्थापित किया जाये। यह संगठन सरकारी और गैर सरकारी व्यक्तियों को स्त्री शिक्षा के कार्यक्रमों के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए एक जगह लाये।
(12) अतः यह आवश्यक होगा कि स्त्रियों को प्रशिक्षण और रोजगार देने की समस्याओं की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाये।

राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद् (NCWE) की वार्षिक रिपोर्ट (1970)— चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969—74) के अन्तर्गत 1970 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद् (NCWE) द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट में स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए निम्न बिन्दुओं पर बल दिया गया—
(1) केन्द्रीय सरकार स्त्री शिक्षा हेतु अलग से पर्याप्त धनराशि सुनिश्चित करे।
(2) स्त्री शिक्षा के प्रसार हेतु योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाया जाये।
(3) ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाली शिक्षिकाओं को प्रोत्साहित किया जाये और उन्हें अतिरिक्त भत्ता तथा सुविधाएँ प्रदान की जाएँ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)— इसमें निम्नलिखित उपाय सुझाये गये—
(i) बालिकाओं की शिक्षा के लिए परिवेश का निर्माण करना।
(ii) औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा के लिए सुविधाए बढ़ाना।
(iii) वर्तमान कार्यक्रम का विस्तार एवं अनेक सहायता कार्यक्रम को प्रारम्भ किया जाये, जिससे बालिकाओं का स्तर बढ़ाया जा सके।
(iv) आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनुपूरक पाठयक्रम तैयार करना।
(v) निरक्षर स्त्रियों के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करके निरक्षरता दूर करने के उपाय किये जायें, जिससे स्वयंसेवी संगठन, सम्पूर्ण मानव शक्ति का सहयोग लिया जाये।

प्रोफेसर राममूर्ति समिति (1991)— बालिका शिक्षा पर समिति के सुझाव निम्नलिखित है—
(i) अध्यापिकाओं की अधिक से अधिक नियुक्ति की जाए।
(ii) विद्यालयों में पोषण, स्वास्थ्य एवं बाल विकास का समावेश किया जाए।
(iii) विभिन्न स्तरों पर महिला अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना की जाए।
(iv) महिला शिक्षा के लिए अलग से धन का प्रावधान किया जाए।
(v) छात्रवृत्तियाँ, मुफ्त् पाठ्य—पुस्तकों का वितरण एवं अन्य प्रोत्साहन अधिक से अधिक दिये जाएँ ।

समानता की ओर महिलाओं की स्थिति पर गठित समिति— 1971—74 की रिपोर्ट— इसकी रिपोर्ट के अनुसार देश में हो रहे सामाजिक और आर्थिक बदलावों ने महिला सुधार से जुड़ी समस्याओं को पेश किया। भारत सरकार को इस कारण महिलाओं के अधिकार एवं हैसियत से जुड़े प्रश्नों की विस्तृत पड़ताल की आवश्यकता के कारण विशेष रूप से शिक्षा नीति में सुझाव दे सके। इसके उद्देश्य इस प्रकार है :—

महिलाओं की सामाजिक स्थिति, उनकी शिक्षा, रोजगार पर संवैधानिक, कानूनी और प्रशासनिक प्रावधानों के अवसर की जांच पडताल करना। कानून, शिक्षा, रोजगार, जनसंख्या एवं नीतियों के क्षेत्र में उन कारकों को निर्धारित करना जो इन क्षेत्रों में महिलाओं की धीमी गति के लिए उतरदायी है। समिति द्वारा महिला शिक्षा पर की गयी सिफारिशें दो भागों में बांटी गयी है
(1) औपचारिक व्यवस्था सम्बन्धी सिफारिशें
(2) अनौपचारिक व्यवस्था सम्बन्धी सिफारिशें।

औपचारिक व्यवस्था के तहत सहशिक्षा का विकास, लडके एवं लड़कियों दोनों के लिए समान पाठ्यक्रम का सुझाव, विद्यालय पूर्व शिक्षा, 06—14 वर्ष तक सभी बच्चों के लिए शिक्षा की सार्वभौमिकता, औपचारिकता शिक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत महिलाओं की सामाजिक प्रभाविकता को बढ़ाने की बात की जो निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया होगी इसके तहत उन महिलाओं की स्थिति पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही जो, अपनी उम्र, सामाजिक जिम्मेदारी और साक्षरता की कमी के कारण औपचारिक व्यवस्था तक नहीं पंहुच पायी है।

राष्ट्रीय समिति का गठन— शिक्षा मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा महिलाओं की शिक्षा हेतु गठित राष्ट्रीय समिति ने 1974 में अपनी 13वीं बैठक में निम्नलिखित सिफारिशें की—

(i) केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों तथा स्वायत्त सेवा संस्थाओं को अनुदान के रूप में स्त्री–शिक्षा विकास हेतु विशेष धनराशि प्रदान की जाए।

(ii) लड़कियों के नामांकन में वृद्धि हेतु विशेष सुविधाएँ करायी जाएँ।

(iii) महिलाओं को शिक्षण प्रशिक्षण कण्डेन्स कोर्स के द्वारा प्रदान किया जाए।

(iv) स्थानीय महिलाओं को शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु प्रेरित करने का प्रयास किया जाए।

(v) ऐसी बालिकाओं के लिए जो बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देती है, ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए, जिसे वे अनौपचारिक शिक्षा के रूप में ग्रहण कर सकें।

(vi) महिला शिक्षकों के लिए शहरों और नगरों में स्टाप क्वाटर्स बनाये जाने चाहिए तथा उन्हें पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

केन्द्र सरकार ने पाया कि अधिकांश महिलाएँ अभी भी सामाजिक और आर्थिक असमानताओं से प्रभावित हैं, परन्तु स्त्री–शिक्षा के लिए बनायी गयी योजनाएँ ठीक प्रकार से लागू न हो पायीं और महिलाओं के जीवन और शिक्षा में कोई सकारात्मक प्रगति न हो सकी।

भारतीय महिलाओं के शैक्षिक स्तर सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट– 18 मई, 1975 को यह रिपोर्ट राज्यसभा के पटल पर रखी गयी। इस पर बोलते हुए तत्कालीन शिक्षा मंत्री नुरूल हसन ने कहा, ''पिछले 28 वर्षों में स्त्रियों की दशा में व्यापक सुधार आया है। उन्हें संविधान ने पूरी सुरक्षा के साथ–साथ कई शैक्षिक योजनाओं में भी सहभागी बनाया है तथा कानूनी मापदण्ड भी उनकी प्रगति में सहायक हुए हैं।''

बहस में भाग लेते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने कहा–''किसी भी समाज का स्तर वहाँ की महिलाओं के स्तर से आँका जाता है। महिलाएँ आज भी पुरूष–प्रधान समाज में रह रही हैं। उन्हें जन्म से लेकर जीवनपर्यन्त हर क्षेत्र में इस मानसिकता से गुजरना पड़ता है, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो अथवा समाज में रहने की बात।

महिलाओं का निम्न स्तर अथवा उन्हें विकास की कम सुविधाएँ उपलब्ध कराना समाज को विकलांग बना देता है। संसद में स्त्रियों की दशा की सही तस्वीर प्रस्तुत करते हुए राजा देश पाण्डे ने कहा कि यह वर्ष महिला वर्ष है। मैं जानना चाहूँगी कि सरकार महिलाओं के बारे में क्या सोच रही है। यदि आपका उत्तर है कि आप उन्हें पुरूषों के समान ही स्तर प्रदान कर रहे हैं तो मै आपके प्रति आभारी हूँ। मैंने देखा है कि बहुत से स्थानों पर ऐसे स्कूल तथा हॉस्टल हैं, जहाँ बालिकाएँ स्वयं रहकर पढ़–लिख सकती हैं, परन्तु यदि गाँवों में जाकर हम बालिकाओं की शिक्षा के बारे में देखें तो स्थिति पूर्णतः विपरीत है। वहाँ बालिकाओं को विद्यालय भेजना किसी पर उपकार समझते हैं। हमें यह स्थिति बदलनी होगी। ऐसे में हम विद्यालय तथा छात्रावासों की संख्या को बढ़ाना चाहिए, जहाँ बालिकाओं को ऐसी सुविधाएँ उपलब्ध हों। विशेष रूप से इस महिला वर्ष में हमें बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।''

राष्ट्रीय महिला आयोग– सन् 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पारित किया गया। इसमें एक अध्यक्ष, एक सचिव, एवं पाँच पूर्णकालिक सदस्य थे। यह आयोग 31 जनवरी, 1992 से प्रभावी हुआ। इस आयोग को निम्न कार्य सौंपे गये–

(i) महिलाओं को जो कानूनी सुरक्षा प्रदान की गयी है, उन्हें कारगर ढंग से लागू करने के उपाय सुझाना।

(ii) महिलाओं को प्रभावित करने वाले कानूनों में कमी, अपर्याप्त या त्रृटि पर संशोधन के भी सुझाव देना।

(iii) महिलाओं की शिकायतों पर ध्यान देना एवं जहाँ कानूनों का उल्लंघन होता है वहॉ समस्याओं को सम्बन्धित अधिकारी तक पहुँचाना।

(iv) महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए योजनाएँ बनाने के लिए प्रक्रिया में भाग लेना।

(v) सुधार गृहों, जेलखानों व अन्य स्थानों पर उनके पुनर्वास तथा दशा सुधारने के बारे में सिफारिशें करना।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने आयोग ने 7–8 अक्टूबर, 1992 को बालिकाओं से बलात्कार विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित की गयी थी, जिसमें घृणित अपराध की घटनाओं की रोकथाम के उपायों पर विचार किया गया था। मार्च, 1993 में इंलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए महिला परिपेक्ष्य पर गोष्ठी हुई, जिससे समाचार पत्रों व मुद्रित सामग्री के बारे में जागरूकता पैदा करना था।

प्रोग्राम ऑफ एक्शन (1992)– प्रोग्राम ऑफ एक्शन (1992) में महिला सशक्तिकरण के तहत किये गये प्रयासों में महिलाओं का आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास बढ़ाना राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं के योगदानों को पहचान कर, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकल्पों को चुनने की क्षमता का विकास करना प्रमुख है। यह ध्यान में रखते हुये कि महिलाओं की सभी क्षेत्रों में बराबर भागीदारी हों, कानूनी साक्षरता तक उनकी पहुच हो, तथा उनके अधिकारों से सम्बन्धित सूचना प्राप्त करना तथा समाज में जिन अधिकारों के वे हकदार है उन्हें दिलाना है।

राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति (2001)– लड़कियों की शिक्षा और महिलाओं के सशक्तिकरण का मुद्दा राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति, 2001 ने उठाया, वह इस प्रकार है– एक तरफ संविधान, विधानों, नीतियों एवं योजनाओं में प्रतिपादित लक्ष्यों और दूसरी ओर भारत में महिलाओं की स्थिति के सम्बन्ध में परिस्थिति जन्य साक्ष्य वास्तविकता के बीच अभी भी बहुत बड़ा अन्तर है। भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति की रिपोर्ट समानता की ओर में इसका विस्त्त रूप से विश्लेषण किया गया है।

जेण्डर सम्बन्धी असमानता कई रूपों में उभरकर सामने आती है जिसमें सबसे प्रमुख है– लिंगानुपात में गिरावट, सामाजिक रूढ़िवादी सोच एवं बालिकाओं के प्रति भेदभाव, भारत के कई भागों में आज भी जारी है। इसके तहत महिलाओं और लड़कियों के लिए शिक्षा तक समान पहुँच को सुनिश्चित करने, भेदभाव खत्म करने, शिक्षा को जन–जन तक पहुँचाने, निरक्षरता दूर करने, लिंग संवेदी शिक्षा पद्धति बनाने, लड़कियों का नामांकन बढ़ाने, महिलाओं द्वारा रोजगार और तकनीकी कौशल के साथ–साथ जीवन पर्यन्त शिक्षण को सुलभ बनाने के लिए शिक्षा की गुणवता में सुधार के लिए विशेष उपाय किए जायेंगे। माध्यमिक और उच्च शिक्षा में लिंग भेद को कम करने की ओर ध्यान आकर्षित किया जायेगा। लिंग भेद के मुख्य कारणों में से एक के रूप में लैंगिक रूढ़िबद्धता का समाधान करने के लिए शिक्षा पद्धति के सभी स्तरों पर लिंग संवेदी कार्यक्रम विकसित किए जायेंगे।

भारत सरकार ने स्वतन्त्रता के बाद महिला शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुये कई आयोगों और समितियों का गठन किया। इसके तहत महिला शिक्षा के मार्ग में बाधक तत्वों को पहचान कर इनके निवारण के लिए कई सुझाव भी दिये। जो इस प्रकार हैः–

लड़कियों की शिक्षा, समान स्कूल व्यवस्था और विशेष बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा– 2005– असम के मुख्यमन्त्री तरूण गोगोई की अध्यक्षता में गठित समिति में स्त्री शिक्षा भी एक मुद्दा था। इस समिति का उद्देश्य लिंग आधारित भेदभाव को कम करने वाली विशेष नीतियों और प्रावधानों का परीक्षण करना एवं शिक्षा के सभी क्षेत्रों में लड़कियों एवं महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना। इसके अनुसार महिलाओं को दी जाने वाली शिक्षा के प्रति यांत्रिक दृष्टिकोण का विरोध करने की आवश्यकता है जिससे जन्मदर को नियंत्रित करें, बेहतर स्वास्थ्य सेवायें, गिरती शिशु मृत्युदर, आदि के लिए महिलाओं को शिक्षित करने की जरूरत है। आज भी शिक्षा लिंग आधारित रूढ़िवादिता से ग्रसित है। लड़कियों की शिक्षा के संदर्भ में लक्ष्य की प्राप्ति को केवल उनके नामांकन और स्कूल में रूकने मात्र तक सीमित कर नहीं देखा जाये बल्कि सभी विषयों और स्तरों पर भी उनकी उपलब्धि और प्रदर्शन को देखा जाये तथा महिला शिक्षा को प्रारम्भिक स्तर से उपर भी सुनिश्चित किया जाये।

नई शिक्षा नीति (2020)–

नई शिक्षा नीति, 2020 में महिलाओं की शिक्षा हेतु निम्न प्रावधान है–

1. बालिका छात्रावासों तक सुरक्षित और व्यवहारिक पहुंच प्रदान की जाएगी।
2. जहां विद्यालय अधिक दूरी पर है, ग्रामीण अंचलों, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों, दूरदराज के इलाकों, वहां निशुल्क छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए उपयुक्त व्यवस्था होगी।
3. कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो पहले से ही भारत सरकार की योजना है उसे और अधिक मजबूत बनाया जाएगा। सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों की बालिकाओं की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा वाले विद्यालयों में 12 वीं स्तर तक विस्तार किया जाएगा ताकि छात्राओं का नामांकन बढ़ सके।
4. छात्राओं की भागीदारी और सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे उपाय किए जाएंगे, जिससे वह विद्यालयों से जुड़ी रहे जैसे अधिक दूरी वाले स्थानों पर छात्राओं को साइकिल प्रदान की जाएगी तथा फीस आदि न भर पाने की स्थिति में उनके माता–पिता एवं अभिभवकों को सशर्त नगद हस्तांतरण किया जाएगा ताकि गरीबी के कारण उन्हें स्कूल छोड़ना ना पड़े।
5. विद्यालयों में सकारात्मक वातावरण, भौतिक सुविधाएं विशेषकर स्वच्छता, शौचालय आदि का विशेष ध्यान रखा जाएगा। जहां विद्यालय सह शिक्षा वाले हैं, वहां अलग शौचालय आदि अन्य बुनियादी सुविधाएं एवं सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा।
6. स्कूल में नामांकित सभी बच्चे विशेषकर बालिकाओं, किशोरों द्वारा सामना किए जाने वाले गंभीर मुद्दों जैसे कई प्रकार के भेदभाव उत्पीड़न तथा उनके अधिकारों एवं सुरक्षा के खिलाफ किसी भी तरह के उल्लंघन पर कुशल तंत्र के साथ प्राथमिकता दी जाएगी।
7. बालिकाओं और ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए जेंडर समावेशी निधि का गठन करने की बात एक नया और क्रांतिकारी कदम है। यह जेंडर समावेशी कोष राज्यों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। जिससे उनको ऐसी नीतियों, योजनाओं कार्यक्रमों आदि को लागू करने में सहायता मिलेगी जिससे बालिकाओं को विद्यालय परिसर में अधिक सुरक्षा पूर्ण स्वस्थ वातावरण मिल सके।
8. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग और राज्यों के ओपन स्कूल द्वारा प्रस्तुत ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कार्यक्रम का विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, हालांकि यह प्रावधान सभी विद्यार्थियों के लिए हैं किन्तु बालिकाओं को उसका विशेष लाभ मिलेगा जो विद्यालय नहीं जा सकती वह भी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगी।

9. व्यवसायिक विषयों, स्थानीय भाषाओं, इनडोर एवं आउटडोर खेल, चित्रकला, कठपुतली, शिल्प, नाटक, कविता, कहानी, संगीत आधारित गतिविधियों आदि को नयी शिक्षा नीति में जोड़ा जाएगा जिससे विद्यार्थी विशेषकर बालिकाओं में रूचि विकसित होगी और वह विद्यालय से जुड़ी रहें।
10. उच्चतम शिक्षण संस्थानों की प्रवेश प्रक्रिया में जेंडर संतुलन को बढ़ावा दिया जाएगा।
11. उच्चतर शिक्षण संस्थाओं के सभी पहलुओं द्वारा संकाय सदस्यों परामर्शदाताओं और विद्यार्थियों को जेंडर और जेंडर पहचान संवेदनशील और समावेशित किया जाएगा।
12. परिसर में भेदभाव और उत्पीड़न के लिए बने हुए नियमों को सख्ती से लागू किया जाए। यह सभी व्यवस्थाएं उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में महिला विद्यार्थियों के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करेंगे।
13. उच्च शिक्षण संस्थाओं को सॉफ्ट स्किल्स सहित विभिन्न कौशलों तथा ''लोक विधाओं ''में सीमित अवधि के सर्टिफिकेट कोर्स करवाने की भी अनुमति होगी इससे उच्च शिक्षण में महिलाएं अपनी रूचि एवं सुविधा के अनुसार कौशल प्राप्त करके आत्मनिर्भर बन सकें।

इस प्रकार बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विशेष प्रावधान है। शिक्षा के सभी स्तरों में लिंग संतुलन, सामाजिक रूप से वंचित समूहों की महिलाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, परिसरों में महिलाओं की सुरक्षा, अधिक छात्रवृत्तियाँ आदि नीति जागरूक और संवेदनशील है।

उपसंहार– उपरोक्त योजनाओं के साथ–साथ महिला शिक्षा के लिए समय–समय पर सरकार ने महिला समस्या, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, गोरा देवी कन्याधन योजना, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन, सर्वशिक्षा अभियान, उडान आदि योजनायें भी चलायी हैं। अभी तक हमें लगभग प्रत्येक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक सभी क्षेत्रों में लिंग आधारित भेदभाव दिखायी दे रहा है। इसलिए अभी भी संविधान द्वारा तय किया गया समानता का लक्ष्य हासिल करने के लिए विस्तृत अध्ययन एवं विश्लेषण की आवश्यकता है। समाज इन भेदभावों के प्रति, संवेदनशील एवं चिन्तनशील हो, महिला स्वयं अपने अधिकारों के प्रति सजग हों और यह तभी संभव होगा जब उनकी पंहुच शिक्षा तक होगी। लड़कियों को शिक्षित करने की उपयोगिता को रूढ़िबद्ध दायरों में ही रखकर देखने के स्थान पर उनकी शिक्षा को बौद्धिक तौर पर स्वतन्त्र होने से जोडकर देखना होगा तभी शिक्षा का लक्ष्य संवैधानिक लक्ष्यों से मिल पायेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

1. अग्रवाल, एम0 & गोयल आर0 (सन् नहीं)। *लिंग, विद्यालय और समाज*। मेरठः आर0 लाल बुक डियो।
2. अग्रवाल, जे० सी० (1981)। *थ्योरी एण्ड प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन*। नई दिल्लीः विकास पब्लिशिंग हाउस पीवीटी एलटीडी।
3. आविदीन जे० (2014)। *स्वतन्त्र भारत में महिला शिक्षा के विकास हेतु प्रयास।* आर्यावर्त शोध विकास पत्रिका, वाल्यूम–1 न०(2)
4. कपिल, एच०के० & सिंह, ममता (2013)। *सांख्यिकी के मूल तत्व*। आगराः अग्रवाल पब्लिकेशन्स।
5. कुमारी, वी0 (2017)। *भारत में नारी शिक्षा की स्थिति*। इन्टरनेशनल जनरल ऑफ साइन्टिफिक रिसर्च इन साइन्स, इन्जीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी। वाल्यूम–3(IV)
6. कौल, लोकेश (2012)। *शैक्षिक अनुसंधान की कार्य प्रणाली*। नोएडाः विकास पब्लिशिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड।
7. गेरैट, एच०ई० (2000)। *शिक्षा और मनोविज्ञान में सांख्यिकी के प्रयोग*। लुधियानाः कल्याणी पब्लिशर्स।
8. गुप्ता, एस0 (2005)। *एजूकेशन इन इमरजिंग इण्डिया*। दिल्लीः शिप्रा पब्लिकेसन।
9. चौबे, एस० पी० (1972)। *तुलनात्मक शिक्षा*। आगराः विनोद पुस्तक मन्दिर।
10. थौर्प, एस०, थौप, एड० (2003)। *पियर्सन सामान्य ज्ञान कोष*। चण्डीगढ़ः पीर्यसन।
11. पलोड़, सुनिता & लाल, आर०बी० (2008)। *शैक्षिक चिन्तन एवं प्रयोग।* मेरठः आर०लाल बुक डिपो।
12. पाठक,पी०डी (2007)। *भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ*। आगरा–2: विनोद पुस्तक मन्दिर।
13. पाण्डेय, आर० (2001)। *शैक्षिक निबन्ध*। आगरा–2: विनोद पुस्तक मन्दिर।
14. बेस्ट, जे0डब्ल्यू0 & कान्ह, जे0 वी0 (2014)। *रिसर्च इन एजूकेशन*। दिल्लीः पी0एच0आई0 लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड।
15. भट्टाचार्य, जी0सी0 (2017)। *अध्यापक शिक्षा*। आगराः अग्रवाल पब्लिकेसन्स।
16. राय, पी० & राय, सी० पी० (2012)। *अनुसंधान परिचय* । आगराः लक्ष्मी नारायण अग्रवाल।
17. मुखर्जी, एस0एन0 (1958)। *एन इन्ट्रोडक्शन टू इन्डियन एजुकेशन*। बड़ौदाः आचार्य बुक डिपो।

वेबसाइट

www.amarujala.com
www.drishtiias.com
https://www.education.gov.in
https://pib.gov.in
www.sodhganga.inflibnet.ac.in
https://udiseplus.gov.in